रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11, 1992/ चैत्र 22, 1914
No. 72] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11, 1992/CHAITRA 22, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

संख्या 11-3/91-एफ. सी.-2.—खाद्यान्नों के वजन में वृद्धि/कमी का अध्ययन करने के लिए एक समिति और एक उप-समिति की स्थापना करने संबंधी अधिसूचना संख्या 11-3/91-एफ.सी.-2, दिनांक 7-8-1991 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि इस प्रयोजन हेतु एक नई समिति गठित की जाए। इससे पहले की समिति और उप-समिति विघटित मानी जाएगी।

1.1 समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री जे. एम. सहाय, निदेशक (संचलन), खाद्य मंत्रालय—संयोजक
2. श्री जी. मोहन, प्रबंधक (जागत), भारतीय खाद्य निगम —सदस्य
3. श्री जे. एल. श्रीवास्तव, उप निदेशक (भं. एवं शलु.), खाद्य मंत्रालय —सदस्य
4. श्री सी. एस. शिवक्षा, प्रबंधक (गुण नियंत्रण), भारतीय खाद्य निगम —सदस्य सचिव

1.2 समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे

(1) देश के विभिन्न क्षेत्रों में भंडारण के दौरान गेहूं और चावल/धावल के वजन में वृद्धि/कमी के तथ्य की तकनीकी जांच करना और इन खाद्यान्नों के वजन में वृद्धि/कमी के औचित्य के बारे में विचार करने के लिए मानदंडों की सिफारिश करना।

(2) इस बात का अध्ययन करना कि (क) राज्य एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए स्टाक की वसूली करते समय; (ख) केन्द्रीय पूल से भारतीय खाद्य निगम को स्टाक का हस्तांतरण करते समय; और (ग) बाद में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्टाक का हस्तांतरण करते समय वजन में वृद्धि/कमी की गणना कैसे की जाती है, भगतान कैसे किया जाता है।

(3) वसूली एजेंसियों से स्टाक लेने के लिए एक प्रणाली तैयार करना ताकि भंडारण के दौरान वजन में वृद्धि और कमी के इन तथ्यों के कारण भारतीय खाद्य निगम को हानि न होने पाए।

(4) लेखों की लेखापरीक्षा की तरह भारतीय खाद्य निगम में तकनीकी लेखा परीक्षा की प्रणाली तैयार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वजन में ऐसे परिवर्तनों के कारण भारतीय खाद्य निगम को कम से कम हानि हो।

1.3 सदस्य मौजूदा नियमों/अनुदेशों के अंतर्गत उन्हें देय टी.ए./डी.ए. लेने के हकदार होंगे।

1.4 समिति अपनी रिपोर्ट 31-5-1992 तक सरकार को प्रस्तुत कर देगी।

के. एस. बैंस, अपर सचिव

MINISTRY OF FOOD

RESOLUTION

New Delhi, the 31st March, 1992

No. 11-3/91-FC.II.—Government of India have, in supersession of resolution No. 11-3/91-FC. II dated 7-8-1991 setting up a Committee and a sub-Committee to study the phenomenon of gain/loss in weight of foodgrains, decided to constitute a new Committee for the purpose. The earlier Committee as well as Sub-Committee stand dissolved.

1.1 The Committee will consist of the following :—

1. Shri J.M. Sahai, Director (Movt.) Ministry of Food—Convenor.
2. Shri G. Mohan, Manager (Cost) Food Corporation of India.—Member.
3. Shri J.L. Srivastava, DD (S & R) Ministry of Food—Member.
4. Shri C.S. Shivanna, Manager (Quality Control), FCI. - - Member Secretary

1.2 The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To examine technically and quantify the phenomenon of gain/loss in weight of wheat and paddy/rice during storage in different regions of the country and to recommend yard-sticks for considering reasonableness of gain/loss in weight of the foodgrains.

(ii) To study as to how the weight gained/lost is accounted for/paid for (a) by the State agencies at the time of procurement by them for the Central pool (b) at the time of the transfer of the stocks by them to FCI and (c) subsequently by FCI while transferring stocks to P.D.S.

(iii) To evolve a system for taking over the stocks from the procuring agencies so that FCI is not put to loss on account of these phenomenon of gain or loss of weight during storage.

(iv) To evolve a system of technical audit similar to acccoounts audit in FCI so as to ensure that loss to FCI is minimised on account of such changes in weight.

1.3 The members will be entitled for TA/DA as admissible to them under the existing rules/ instructions.

1.4 The Committee will submit its report to the Government by 31-5-1992.

K.S. BAINS, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992